भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 91

जिसका उत्तर सोमवार, दिनांक 04 दिसम्बर, 2023/अग्रहायण 13, 1945 (शक) को दिया जाना है

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए जीएसटी संग्रह

91. श्री डी. एम. कथीर आनन्द:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि वित्तीय वर्ष 2022 के लिए जीएसटी संग्रह का सरकार का दावा सत्रह लाख पचास हजार करोड़ रुपये का हो गया है लेकिन जीएसटी के संग्रह को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों के कारण वास्तविक जीएसटी संग्रह बहुत कम है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या यह सच है कि जीएसटी लागू होने के बाद से लगभग 10 लाख कंपनियों के दस लाख करोड़ रुपये से अधिक जीएसटी दावे अभी भी वसूली के लिए लंबित थे; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 31 मार्च, 2023 की स्थिति के अनुसार वसूली के लिए लंबित जीएसटी बकायों को वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): जी नहीं, महोदय वित्त वर्ष 2020-21, 2021-22 तथा 2022-23 के लिए माल और सेवाओं (घरेलू + आयात) की आपूर्ति पर सकल माल और सेवा कर संग्रहण का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

(करोड़ रुपए में)

वित्त वर्ष	संग्रहण	औसत मासिक संग्रहण
2020-21	11,36,805	94,734
2021-22	14,83,291	1,23,608
2022-23	18,07,680	1,50,640

वित्त वर्ष 2021-22 और 2022-23 के लिए मासिक औसत सकल जीएसटी संग्रहण में क्रमशः 30% और 22% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि देखी गई है।

जीएसटी का भुगतान स्व-मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है और केंद्र और राज्य स्तर पर कर प्रशासन को उन मामलों, जहां जीएसटी का भुगतान नहीं किया गया है या कम भुगतान किया गया है, में कार्रवाई करने के लिए सशक्त बनाया गया है। ऐसे मामलों का पता लगाना और न चुकाए गए या कम चुकाए गए करों की वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है।

सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर जीएसटी में अनेक सुधार करती रही है। इन उपायों से जीएसटी अनुपालन में सुधार और जीएसटी संग्रहण में वृद्धि होगी। इनमें अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित उपाय शामिल हैं:-

(i) इन्वर्टेड शुल्क संरचना में सुधार करने तथा रियायतों में कटौती करने के लिए अवसंरचनात्मक परिवर्तन, जैसे जीएसटी दरों की जांच करना;
(ii) कर अनुपालन में सुधार करने के लिए उपाय, जैसे ई-वे बिल को अनिवार्य करना; आईटीसी मिलान करना, ई-चालान अनिवार्य करना, आर्टिफिशियल इन्टैलिजेंस और मशीन आधारित विश्लेषिकी का परिनियोजन, पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण, नॉन फाइलर्स, स्टॉप फाइलर्स पर जांच की कार्रवाई, जोखिम वाले करदाता पर मूल्यांकन आधारित कार्रवाई, फास्ट टैग के साथ ई-वे बिल का एकीकरण, आदि।
(iii) कर अपवंचकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए केंद्र के साथ राज्य कर प्राधिकरणों के साथ-साथ प्रणाली आधारित विश्लेषणात्मक उपकरणों और प्रणाली आधारित रेड फ्लेग रिपोर्टें साझा की जा रही हैं।

*****